जिला रेड क्रॉस सोसायटी

बनाम

बबीता अरोड़ा और अन्य।

14 अगस्त 2007

(जी. पी. माथुर और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे.जे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947- धारा 25च, 25 चचच और 25जी - कर्मकारों की सेवाओं की समाप्ति - नियोक्ता की इकाइयों में से एक के बंद होने पर- अधिनस्थ अदालतों द्वारा इस आधार पर पुनःस्थापन का आदेश कि नियोक्ता की अन्य इकाइयां चल रही थीं - अपील में अभिनिर्धारितः- पुनःस्थापन आदेश न्यायसंगत नहीं- यदि नियोक्ता की केवल एक इकाई बंद है जिसका नियोक्ता की अन्य कार्यरत इकाइयों के साथ कोई क्रियात्मक संबंध नहीं है, तो यह इकाई को बंद करने के समान होगा और धारा 25चचच के प्रावधान लागू होंगे - इसलिए कर्मकारों केवल धारा 25 चचच के तहत मुआवजे के हकदार हैं।

वर्तमान अपीलों में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी- कर्मकार (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ और 25 जी) के तहत सुरक्षा के हकदार थे, यदि जिस प्रतिष्ठान में वे काम कर रहे थे, वह स्वयं बंद हो गया था, हालांकि नियोक्ता- सोसाइटी की कुछ अन्य शाखाएं या इकाइयां बंद नहीं हुई थीं।

औद्योगिक प्राधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अभिनिर्धारित किया था कि चूँकि नियोक्ता- सोसाइटी की अन्य इकाइयाँ चल रही थीं, किसी एक इकाई के बंद होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि नियोक्ता की स्थापना बंद हो गई थी। इसलिए सेवा की निरंतरता और पूरे बकाया वेतन के साथ कर्मकारों की पुनःस्थापन का आदेश पारित किया गया।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित कियाः-

1. प्रतिवादी केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 चचच के अनुसार मुआवजे का हकदार होगा और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पिछले वेतन के साथ सेवा में पुनःस्थापन का अधिनिर्णय, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त होना चाहिए।

[पैरा 101][1025-जी]

2. यदि नियोक्ता का पूरा प्रतिष्ठान बंद नहीं किया गया है, बल्कि केवल एक इकाई या उपक्रम बंद किया गया है जिसका अन्य इकाइयों या उपक्रमों के साथ, कोई क्रियात्मक संबंध नहीं है, यह बंद अभिनिर्धारित किया जाएगा और अधिनियम की धारा 25 चचच के प्रावधान लागू हो जाएंगे और श्रमिक केवल अधिनियम की धारा 25 चचच में दिए गए मुआवजे के हकदार हैं, जिसकी गणना धारा 25 च के अनुसार की जानी है। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने भी यह मानने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की कि चूंकि अपिलार्थी की अन्य इकाइयाँ काम कर रही थीं, इसलिए प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति छंटनी के समान होगी। अन्य इकाइयाँ अलग- अलग संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं और केवल इस तथ्य से कि उन्हें बंद नहीं किया गया है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति छंटनी के माध्यम से की गई थी जो अधिनियम की धारा 25 च के प्रावधानों का पालन न करने के कारण अवैध थी। [पैरा 91] [1025-सी, डी, ई, एफ]

वर्कमैन ऑफ द इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गुंटूर बनाम द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गुंटूर, एआईआर **(1970) एससी 860;** मैनेजमेंट ऑफ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम द वर्कमैन एण्ड अन्य, **(1973) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रीयल केसेज 461;** वर्कमैन ऑफ स्ट्रॉ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स स्ट्रॉ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, **(1974) 1 एलएलजे 499;** जे.के. सिंथेटिक्स बनाम राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र और अन्य, **(2001) 2 एससीसी 87** और मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम रामलाल और अन्य, **(2005) 2 एससीसी 638,** पर आधारित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3735-3738/2007.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के सी.डब्ल्यू.पी. 2002 की संख्या 1236, 6081, 6347 और 6349 में दिनांक 24.10.2002 के अंतिम आदेश से।

बलराम गुप्ता, ए.पी.एस. शेरगिल और एस. जननी-अपिलार्थी की ओर से।

राजेश त्यागी, अपर्णा भारद्वाज और प्रवीण जैन- प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

जी.पी. माथुर, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. ये अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.10.2002 के विरूद्ध दायर की गई हैं, जिनके द्वारा अपिलार्थी द्वारा दायर की गई चार रिट याचिकाएं एक ही आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थीं। रिट याचिकाओं में 1999 के संदर्भ संख्या 1433 से 1436 में औद्योगिक प्राधिकरण- एवं- श्रम न्यायालय, करनाल के दिनांक 7.9.2001 के अधिनिर्णयों को चुनौती दी गई थी।

3. सिविल रिट याचिका संख्या 1236/2002 के तथ्य इस प्रकार हैं - जो 1999 के संदर्भ संख्या 1433 में दिए गए अधिनिर्णय के विरूद्ध निर्देशित किया गया था। बबीता अरोड़ा (प्रतिवादी) ने पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक प्राधिकरण एवं श्रमिक न्यायालय करनाल (बाद में इसे ट्रिब्यूनल के रूप में संदर्भित किया

जाएगा) के समक्ष इस आधार पर याचिका दायर की - कि उसे दिनांक 20.3.1992 के आदेश द्वारा अपिलार्थी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, करनाल में स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने उस पद पर निरंतर काम किया। रेड क्रॉस मैटरनिटी अस्पताल के बंद होने के कारण 30.9.1998 को उनकी सेवाएं समाप्त होने तक उक्त पद पर थीं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम (इसके बाद संदर्भित) की धारा 25च से 25ज में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। जो कि अधिनियम के विधिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था। प्रबंधन ने उसकी सेवाएं समाप्त करते समय ‘पहले आओ, आखिरी जाओ‘ के सिद्धांत का पालन नहीं किया और इस तरह अधिनियम की धारा 25जी का उल्लंघन किया। उसकी सेवाओं की समाप्ति के समय उसे कोई छंटनी मुआवजा नहीं दिया गया था। प्रसूति अस्पताल को कथित तौर पर बंद करना केवल एक कागजी कार्यवाही थी क्योंकि बाहय रोगी विभाग अभी भी काम कर रहा था और मरीजों को डॉक्टरों के साथ- साथ अन्य कर्मकारों द्वारा इलाज दिया जा रहा था। अस्पताल में अभी भी ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन किये जा रहे थे। उनका मामला आगे यह था कि वहां कई अन्य योजनाएं, परियोजनाएं थीं, जैसे, परिवार कल्याण योजना, नशा मुक्ति एवं

अनुसंधान केंद्र, आदि, जहां प्रतिवादी को समायोजित किया जा सकता था। तदनुसार प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी को सेवा की निरंतरता और पूर्ण बकाया वेतन के साथ सेवा में पुनःस्थापन करने का निर्देश देते हुए एक अधिनिर्णय पारित किया जा सकता है।

4. अपीलार्थी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, करनाल ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर जवाब दावा दायर किया कि दावा याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि अस्पताल और सामाजिक संगठन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। रेड क्रॉस मैटरनिटी हॉस्पिटल बंद करने के कारण प्रतिवादी की सेवाएं दिनांक 30.9.1998 से समाप्त कर दी गई क्योंकि अस्पताल दान पर चल रहा था न कि सरकारी अनुदान पर। दान काफी कम हो गया था और वित्तीय संकट और भारी खर्च के कारण, अपिलार्थी के पास प्रसूति अस्पताल को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आगे दलील दी गई कि धर्मार्थ मातृत्व अस्पताल को बंद करने के कारण, वहां काम करने वाले पूरे स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और किसी को भी सेवा में नहीं रखा गया था। हालाँकि, प्रतिवादी को एक अन्य

संगठन, अर्थात् ड्रग डीएडिक्शन एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर, करनाल में एक पद की पेशकश की गई थी, जिसमें 2.11.1998 को सरकार द्वारा नर्स का एक पद स्वीकृत किया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

5. पक्षकारों ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलार्थी नियोक्ता ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, करनाल के प्रभारी क्लर्क, ब्रह्म दत्त को परीक्षित करवाया, जिन्होंने कहा कि प्रबंधन सामाजिक कार्य करता था और यह काम जनता से प्राप्त दान से धर्मार्थ आधार पर किया जाता था। अपिलार्थी सोसायटी एक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, एक परिवार नियोजन केंद्र और एक विकलांग केंद्र भी चला रही थी, जो अलग-अलग प्रतिष्ठानों के रूप में चलाए जा रहे थे क्योंकि उन्हें सरकार से 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान प्राप्त हो रहा था। दिनांक 04.09.1998 को हुई एक बैठक में अत्यधिक वित्तीय तंगी के कारण मैटरनिटी हॉस्पिटल को बंद करने का निर्णय लिया गया क्योंकि इसे सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही थी और यह पूरी तरह से दान से चलाया जा रहा था। उक्त बैठक में सिविल सर्जन, करनाल ने सुझाव दिया था कि

प्रसूति अस्पताल की सभी सुविधाएं पास के सिविल अस्पताल में उपलब्ध हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा अस्पताल कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी को ड्रग डीएडिक्शन एवं रिसर्च सेंटर में सेवा की पेशकश की गई थी लेकिन उसने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

6. ट्रिब्यूनल ने अभिनिर्धारित किया कि अपिलार्थी सोसायटी एक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, एक परिवार नियोजन केंद्र और एक विकलांग केंद्र चला रही थी और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अपिलार्थी का संस्थापन बंद हो गया था। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी ने अपनी सेवा समाप्ति की तारीख से पूर्ववर्ती वर्ष में 240 दिनों से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी और इसलिए, वह पुनःस्थापन मुआवजे की हकदार थी जो प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया था और इस प्रकार उसकी सेवा समाप्त करना, अधिनियम की धारा 25च का उल्लंघन था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी से कनिष्ठ व्यक्ति अपिलार्थी के उपरोक्त अन्य केंद्रों में काम कर रहे थे और इस प्रकार प्रतिवादी की सेवा की समाप्ति अधिनियम की धारा 25छ का उल्लंघन था। इन निष्कर्षों पर, ट्रिब्यूनल ने अभिनिर्धारित

किया कि प्रतिवादी की सेवा की समाप्ति अवैध और गैरकानूनी थी और तदनुसार उसे नोटिस की तारीख अर्थात 06.11.1998 से सेवा की निरंतरता और पूर्ण वेतन के साथ पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया। तीन अन्य न्यायनिर्णयन मामलों में भी इसी तरह के अधिनिर्णय पारित किये गए और संबंधित कर्मकारों (यहाँ उत्तरदाताओं) के पक्ष में सेवा की निरंतरता और पूर्ण बकाया वेतन के साथ पुनःस्थापन के आदेश पारित किए गए। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में चार रिट याचिकाएँ दायर करके ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपिलार्थी रेड क्रॉस सोसाइटी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र और विकलांग केंद्र जैसी अन्य परियोजनाएं चला रही थी और उन्हें बंद नहीं किया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी, करनाल का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था और इसकी अन्य इकाइयाँ कार्य कर रही थीं। आगे यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां अन्य इकाइयां जो समान प्रबंधन के अधीन कार्यरत हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही थी, उत्तरदाताओं की सेवाओं की समाप्ति स्पष्ट रूप से अवैध थी। इन निष्कर्षों पर, रिट याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

7. जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि यह अपीलार्थी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का विशिष्ट मामला था कि प्रसूति अस्पताल को 30.09.1998 से बंद कर दिया गया था क्योंकि इसे सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल रहा था, बल्कि दान पर चलाया जा रहा था और इस प्रकार अत्यधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। अपीलार्थी का यह भी मामला था कि अस्पताल बंद होने के कारण मैटरनिटी अस्पताल के पूरे स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और प्रतिवादी बबीता अरोड़ा को दुसरे संगठन (नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र) में पद की पेशकश की गई थी। वास्तव में, प्रसूति अस्पताल को बंद करने के संबंध में प्रतिवादी की ओर से कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी बबीता अरोड़ा द्वारा दायर दावे का पैराग्राफ 2 इस प्रकार हैः

"2. रेड क्रॉस मैटरनिटी हॉस्पिटल, करनाल को 30.9.98 से बंद करने के कारण कर्मकारों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन प्रबंधन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-च और 25-ज में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, जो अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।"

8. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी अधिनियम की धारा 25च और 25ज के तहत संरक्षण की हकदार है यदि जिस शाखा में वह काम कर रही थी उसे बंद कर दिया गया था जबकि अपीलार्थी जिला रेड क्रॉस, करनाल की कुछ अन्य शाखाओं या इकाइयों को बंद नहीं किया गया और अभी भी कार्य कर रही थी। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25च श्रमिकों की छंटनी की पूर्ववर्ती शर्तों को निर्धारित करती है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः-

25च. कामगारों की छँटनी के लिए पूर्वभाव्य शर्ते- किसी उद्यो मे नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम एक वर्ष तक निरंतर सेवा में रहा चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तक के सिवाय नहीं की जायेगी, जबकि-

(क) कर्मकार को एक महिने की ऐसी लिखित सूचना दे दी गयी हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किये गये हो और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदुरी दे दी गयी हो।

(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो, जो (निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए) या 6 माह से अधिक के उसके किसी भाग के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा (ग) सूचना की तामील सरकार पर (या ऐसे प्राधिकारी को, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्‌वारा समूचित सरकार द्‌वारा विनिर्दिष्ट किया जाए), विहित रिति से कर दी गयी हो।

धारा 25चचच उपक्रमों के बंद होने की स्थिति में श्रमिकों को मुआवजे से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) का प्रासंगिक भाग (परंतु को छोड़कर) इस प्रकार हैः

25चचच. उपक्रमों के बंद कर दिये जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर - (1) जहां की कोई उपक्रम किसी भी कारणवश बंद कर दिया जाता है वहां हर कर्मकार, जो ऐसी बंदी से ठीक पहले उस उपक्रम कम से कम 1 वर्ष के लिए निरंतर सेवा में रह चुका है उपधारा 2 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए धारा 25च उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गयी हो।

परंतु इसलिए, विधायिका ने उपक्रमों को बंद करने को अधिनियम की धारा 25एफ में परिभाषित छंटनी से अलग अभिनिर्धारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप वहां काम करने वाले सभी श्रमिकों की सेवाएं स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगी।

वर्कमेन ऑफ द इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गुंटूर बनाम द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गुंटूर, एआईआर (1970) एससी 860 के मामले में, इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

> ‘‘कोई भी औद्योगिक प्राधिकरण, किसी कंपनी द्वारा अपनी कुछ शाखाओं या डिपो को बंद करने के मामले में अपनाए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है (यहां तक कि धारा 10(1) (घ) के संदर्भ में भी)। भले ही ऐसा बंद करना कंपनी के व्यवसाय को बंद करने के समान न हो। ट्रिब्यूनल के पास किसी कंपनी की किसी बंद डिपो या शाखा को फिर से खोलने का निर्देश देने का आदेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है, यदि कंपनी वास्तव में इसे बंद कर देती है और यह बंद करना उचित और सही है। बंद

> को कंपनी की गतिविधि या व्यवसाय का आंशिक रूकावट के रूप में माना जा सकता है। किसी व्यवसाय के हिस्से का इस तरह रुकना पूरी तरह से व्यवसाय चलाने वाली कंपनी के प्रबंधन का भाव है और उसके विवेक पर निर्भर है.......“

मैनेजमेंट ऑफ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम द वर्कमेन एंड अन्य(1973) में, श्रम और औद्‌योगिक मामले 461, के पैरा 10 में इस न्यायाल द्‌वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

> “10. धारा 25चचच में प्रयोग किया गया उपक्रम शब्द हमें ऐसा लगता है कि इसका सामान्य अर्थ में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कोई कार्य, उद्‌यम, परियोजना या व्यवसाय उपक्रम। इसका उद्देश्य नियोक्ता के संपूर्ण उद्‌योग या व्यवसाय को सम्मिलित करना नहीं है, जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से सुझाव दिया गया था। नियोक्ता के व्यवसाय या गतिविधियों के एक हिस्से को बंद करना या रोकना भी इस उप- धारा के तहत कानून में

सम्मिलित किया गया प्रतीत होता है। वास्तव में यह प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाना है।“

वर्कमेन ऑफ द स्ट्रॉ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स स्ट्रॉ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, (1974) 1. एलएलजे 499, के मामले में, इस न्यायालय ने यह देखते हुए एक इकाई को बंद करने का परीक्षण निर्धारित किया कि संबंधित मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बंद करने का मतलब यह है कि क्या एक इकाई में ऐसा घटक सम्मिलित है कि एक के बंद होने से दूसरे का बंद होना जरूरी है या एक, दूसरे के बिना तर्कसंगत रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। बंद होने की स्थिति में क्रियात्मक संबंध एक विशेष महत्व माना जायेगा।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के बाद विधायिका ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में वर्ष 1982 में किये गये एक संशोधन द्वारा धारा 2(सीसी) जोड़कर ‘‘क्लोजर‘‘ शब्द को परिभाषित किया। धारा 2(गग) इस प्रकार हैः

2(गग). ‘‘बंदी‘‘ से किसी नियोजन का स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बंद किया जाना अभिप्रेरित है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 25चचच के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी नियोक्ता की पूरी स्थापना बंद कर दी जाए। यदि कोई इकाई या किसी उपक्रम का हिस्सा जिसकी अन्य इकाइयों के साथ कोई क्रियात्मक संबंध नहीं है, बंद कर दिया जाता है, तो यह अधिनियम की धारा 25चचच के अर्थ के तहत बंद होने के समान होगा। जे.के. सिंथेटिक्स बनाम राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र और अन्य, {2001} 2 एससीसी 87, में यह देखा गया है कि पूरे संयंत्र को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। प्लांट के एक हिस्से को भी बंद किया जा सकता है। मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम रामलाल और अन्य, {2005} 2 एससीसी 638 के पैरा 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

“21. इस अपील में विचारणीय प्रश्न है कि 1947 के अधिनियम की धारा 25च के प्रावधान उपक्रम के हस्तांतरण या उसके बंद होने की स्थिति में कहां तक और किस हद तक लागू होंगे? 1947 के अधिनियम की धारा 25चच और धारा 25चचच में निहित प्रावधानों में कोई संदेह नहीं है कि धारा 25च केवल मुआवजे की गणना के उद्देश्य के लिए लागू होती है और किसी अन्य के लिए नहीं। 1947 के अधिनियम की धारा 25चच और

धारा 25 चचच में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''मानो'' का विशेष महत्व है। उक्त शब्द केवल 1947 के अधिनियम की धारा 25 च के संदर्भ में मुआवजे की गणना की परिकल्पना करता है, न कि उससे उत्पन्न होने वाले अन्य परिणामों की। धारा 25 चच और धारा 25 चचच दोनों ही उपक्रम के स्थानांतरण या बंद होने की स्थिति में केवल मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करती हैं। एक बार वैध स्थानांतरण या वैध समापन प्रभावी हो जाता है, तो नियोक्ता और कर्मकारों का संबंध जीवित नहीं रहता है और समाप्त हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप काम करने वाले को मुआवजा देना आवश्यक है, ना कि अन्य उद्देश्य के लिए।''

इसलिए, यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि यदि नियोक्ता की पूरी स्थापना बंद नहीं की जाती है, बल्कि केवल एक इकाई या उपक्रम को बंद किया जाता है, जिसकी अन्य इकाइयों या उपक्रम के साथ कोई क्रियात्मक संबंध नहीं है, तो अधिनियम की धारा 25 चचच के प्रावधान आकर्षित होंगे और कर्मकार केवल अधिनियम की धारा 25 चचच में दिए गए मुआवजे के हकदार हैं, जिसकी गणना अधिनियम की धारा 25 च के अनुसार की जानी है। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट रूप से त्रुटि

की कि अपीलार्थी रेड क्रॉस सोसाइटी की अन्य इकाइयाँ जैसे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र और विकलांग केंद्र कार्य कर रहे थे, इसलिए प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति होगी। छंटनी के लिए प्रसूति अस्पताल एक विशिष्ट इकाई के रूप में कार्य कर रहा था। इसे सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल रहा था और यह पूरी तरह से जनता से प्राप्त दान से धर्मार्थ आधार पर चलाया जा रहा था। आर्थिक तंगी के कारण प्रसूति अस्पताल को बंद करना पड़ा। अन्य तीन इकाइयाँ, अर्थात् नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र और विकलांग केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और अलग-अलग संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं और केवल इस तथ्य से कि उन्हें बंद नहीं किया गया है, ऐसा नहीं हो सकता। यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति छंटनी के माध्यम से की गई थी जो अधिनियम की धारा 25 एफ के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण अवैध थी।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार, प्रतिवादी केवल अधिनियम की धारा 25 चचच के अनुसार मुआवजे का हकदार होगा और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पिछले वेतन के साथ सेवा में पुनःस्थापन के लिए

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए अधिनिर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किया जाना चाहिए।

11. अन्य तीन उत्तरदाताओं के मामले बिल्कुल बबीता अरोड़ा के समान हैं क्योंकि वे सभी प्रसूति अस्पताल में काम कर रहे थे। इसलिए, ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित करने और बकाया वेतन का निर्देश देने वाले निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

12. परिणामतः, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.10.2002 और ट्रिब्यूनल के अधिनिर्णय दिनांक 07.09.2001 को अपास्त कर दिया गया है। अपीलार्थी आज से दो महीने के भीतर अधिनियम की धारा 25चचच के अनुसार प्रतिवादियों को मुआवजे का भुगतान करेगा, ऐसा न करने पर प्रतिवादी राशि की गणना के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लागत नहीं।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **डॉ. नेहा गोयल** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।